संख्या–1576/V–2/32(आ0)17/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक 9 अक्टूबर, 2017**

विषय– एस0डी0आर0एफ0 जौलीग्रांट कैम्प के निर्माण हेतु उपलब्ध वन भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन में शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–338/भू–उप0/2017–18, दिनांक 03.05.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा एस0डी0आर0एफ0 जौलीग्रांट कैम्पस के निर्माण हेतु मानचित्रों पर अनापत्ति प्रेषित किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिये जाने का शासन से अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में अवगत करांना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–8बी/यू0सी0पी0/10/07/2014/एफ0सी0/317, दिनांक 27.05.2017 द्वारा जनपद देहरादून के अन्तर्गत थानों रेंज, जौली कक्ष संख्या–2 में राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एस0डी0आर0एफ0) की एक आरक्षित वाहिनी के मुख्यालय परिसर की स्थापना हेतु 23 हैक्टेयर वन भूमि का पुलिस विभाग को प्रत्यावर्तन किया गया है। वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–484, दिनांक 15.06.2015 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के उक्त पत्र के द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति के क्रम में उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु पुलिस विभाग को प्रत्यावर्तन करने की विधिवत स्वीकृति कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत थानों रेंज,जौली कक्ष संख्या–2 में राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एस0डी0आर0एफ0) की एक आरक्षित वाहिनी के मुख्यालय परिसर की स्थापना हेतु 23 हैक्टेयर वन भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन निःशुल्क सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक में किये जाने का निम्नवत् लिया गया है:–

(1) भूमि का उच्चीकरण भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दूनघाटी क्षेत्र के लिये निर्गत अधिसूचना दिनांक 01.02.1989 एवं 14.09.2006 से आच्छादित एवं प्रभावित होगा।

(2) दूनघाटी विशेष क्षेत्र में निर्माण हेतु प्रचलित समस्त नियमों/विनियमों/उपविधियों का अनुपालन किया जाएगा।

(3) भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (संशोधन, 2015) का अनुपालन किया जायेगा।

(4) भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद होने पर भू–उच्चीकरण/महायोजना में संशोधन की कार्यवाही निरस्त समझी जायेगी।

3– अतैव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विभाग के स्वामित्व की उक्त भूमि का खसरावार क्षेत्रफल सहित भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव
0/C

संख्या– 1576/V–2/32(आ0)17/2017–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, पुलिस मुख्यालय, देहरादून।

2– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव
0/C